

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 10/2020 - निगरानी

- |  |      |   |
|--|------|---|
| 1. देवीलाल पिता बालूराम सुथार निवासी परासोली तहसील आसीन्द  | बनाम | 1. गम्भीरा पिता घीसा कुमावत निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द  |
| 2. मेघाराम पिता गणेश कुमावत निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द |      | 2. सरपंच ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा     |
|  |      | 3. सचिव ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा      |
|  |      | 4. सत्यनारायण पिता नानूराम कुमावत निवासी परासोली            |
|  |      | 5. गोपाल लाल पिता उगमलाल कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द |

-निगराकार

- गैर निगराकार



निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संसोधित अधिनियम 1994 बाबत् ग्राम पंचायत परासोली द्वारा दिनांक 05.09.2019 को जारी पट्टे को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित -

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता - गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से
3. श्री मनोहर लाल बुनकर (अधिवक्ता) - विपक्षी संख्या 03 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 20.12.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र में प्रार्थीगणों के पूर्वजों के समय से ही कब्जा एवं मालिकाना हक चला आ रहा है जिस पर भूखण्ड साईज 25 बाई 70 का पट्टा दिनांक 05.09.2019 को विपक्षी संख्या 01 को विधि एवं तथ्यों के विपरीत जाकर जारी किया गया जो अपास्त होने लायक है। दिनांक 05.09.2019 को प्रस्ताव लेकर उसी दिन पट्टा जारी किया गया जो विधि विरुद्ध है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गयी। मौके पर मकान अवस्थित नहीं है। विवादित भूमि पर निगराकार का 70 वर्षों से कब्जा है एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड में मवेशियों का खाद एकत्रित करने हेतु रोड बना रखी है। तथाकथित पट्टा के बाबत् ग्राम पंचायत परासोली द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व

पालन करते हुए विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में विधिवत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारित कर पट्टा जारी करने हेतु तय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे का विधिवत् पंजीयन विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय, आसीन्द में करवाया गया। प्रार्थी ने उक्त पंजीयन के सम्बन्ध में मिथ्या आक्षेप लगाये हैं। प्रश्नगत जायदाद विपक्षी संख्या 01 की पुश्तैनी जायदाद है, उसका पट्टा बनाने हेतु विपक्षी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्रावली कायम की गयी, तत्पश्चात सचिव द्वारा मकान का नक्शा तैयार किया गया एवं वार्ड पंचों द्वारा स्थल निरीक्षण किया व नियमानुसार आपत्तिपत्र जारी किया गया, इस प्रकार ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विधिक प्रावधानों, नियमों एवं औपचारिकताओं का पालन करते हुए विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतय विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने में कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं की है। पंजीकृत दस्तावेज को जिला कलेक्टर अथवा अन्य किसी रिविजनल ऑथोरिटी द्वारा रिविजनल क्षेत्राधिकार के तहत कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है, इस हेतु सक्षम न्यायालय में ही विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। इस प्रकार निगराकार प्रार्थीगण की यह निगरानी कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। निगराकार प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टण्डाई नहीं है, जिससे भी यह निगरानी निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार प्रार्थी की यह निगरानी सर्वथा असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे। गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त पेश किये।



उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने निगरानी में अंकित किया एवं दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे के संबंध में किसी प्रकार की पत्रावली संधारित नहीं की गयी एवं पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं की गयी।

निगराकार के उक्त कथन के संबंध में पत्रावली परीक्षण उपरान्त जाहिर

संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन किये जाने पर पत्रावली कायम की जाकर प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम में रखा गया। मिसल पत्रावली में आज्ञाओं की सूची, पुश्तैनी मकान का नक्शा आबादी भूमि में, आक्षेप आमंत्रित सूचना पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र पट्टा शुल्क रसीद सभी दस्तावेज पंचायती राज नियमों के अनुसार संलग्न हैं। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। इस प्रकार निगराकार का कथन कि पत्रावली संधारित नहीं होकर नियमों की अवहेलना की गयी, निराधार सिद्ध होता है।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा मिसल पत्रावली की प्रमाणितशुदा प्रति पेश करने पर, मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात निगराकार द्वारा पेश नहीं किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन में कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 321/2016-17 दिनांक 09.05.2016 के जरिये पट्टा संख्या 13 दिनांकित 05.09.2019 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली द्वारा मिसल संख्या 321/2016-17 दिनांकित 09.05.2016 के जरिये पट्टा संख्या 13 दिनांकित 05.09.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश मेहरा)  
अतिरिक्त न्यायाधीश, कलक्टर,  
भीलवाड़ा